

225 RTA / 2012 / 101

शान्तिदेवी बनाम विजयशंकर

15-11-21

पत्रावली अभिभाषक अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत हुई। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अपीलांटा व रेस्पोंडेन्ट्स के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है व पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद इस बाबत नहीं रहने के कारण अपीलांट अब अपनी अपील आगे चलाना नहीं चाहते हैं। अपीलांट अपील इसी स्टेज पर विद्वा करना चाहते हैं। अतः अपील इसी स्टेज पर जरिये विद्वावल निर्णित करने के आदेश प्रदान करावे।

प्रस्तुत मामलें में अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलाधीन आदेश सहायक कलेक्टर, बीकानेर दिनांक 15-06-2012 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है तथा अब अपीलांट ही उक्त अपील को जरिये राजीनामा विद्वा करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में चूंकि अपीलाधीन आदेश से अपीलांट ही व्यथित थे व अब वे ही उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को विद्वा करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश से संबंधित समस्त आगामी कार्यवाही से अपीलांट स्वयं बाधित है तथा भविष्य में अपीलांट अपने लिखित अभिकथनों से अर्थात रेसज्यूडिकेसा से प्रभावित रहेंगे। लिहाजा अपीलांट की अपील जरिये विद्वावल खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो।



(रामस्वरूप चौहान)  
अनुसूचित जाति अधिकारी  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बीकानेर

15-11-2021

